


अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी।

वाद संख्या-.....421/2016-17.....

| दिनांक                                   | आदेश  | अभियुक्ति |
|--|---|-----------|
| <p><u>19.8.20</u><br/><u>19.8.22</u></p> | <p>अभिलेख उपस्थापित।<br/>नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। रैयत उपस्थित है, उनके द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हुकुमनामा रजिस्टर डीड X</li> <li>2. लगान रसिद X</li> <li>3. शुद्धि पत्र X</li> <li>4. खतियान X</li> </ol> <p>रैयत द्वारा उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया जिससे निम्न निष्कर्ष निकलता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रैयत के द्वारा उचित रजिस्टर कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया।</li> <li>2. रैयत कोर्ट के माफ़िस है।</li> <li>3. दारिद्र्य रजिस्टर नद (नं. 353 (ख)) 2002/2003 के अधीन पर जमाबंदी लागू है।</li> </ol> <p>अतः उपयुक्त जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p align="center">अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।</p> <p align="right"> <br/>             अंचल अधिकारी<br/>             पूर्वी टुण्डी।         </p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> |           |